**म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड**
**26,अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल**

क्रमांक / बोर्ड / लेखा / 18–19 / 925 भोपाल,दिनांक 5 / 02 / 19

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
......................जिला ................(समस्त)।

विषयः– चैक से मंडी फीस प्राप्त कर रसीद जारी करने बाबत्।
संदर्भः– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर के पत्र क्रमांक 2171 मंदसौर दिनांक 01.02.2019

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 866 दिनांक 05.01.2019 के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिये मंडी समितियों से प्राप्त होने वाली आय एवं भुगतान को NEFT/RTGS से किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे जिसके संदर्भ में सचिव मंडी समिति मंदसौर द्वारा चैक से प्राप्त आय को पूर्णतः प्रतिबंधित के संबंध में लेख किया है जबकि कार्यालयीन पत्र द्वारा चैक से प्राप्त आय को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया गया है अपवाद स्वरूप चैक से प्राप्त आय को यथावत रखा गया था अतः उक्त भ्रांति को स्पष्ट कर वर्तमान में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से प्राप्त मंडी फीस एवं जारी किये जाने वाले अनुज्ञा के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था प्रभावशील होगीः–

1. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों से मंडी फीस की राशि का प्राप्त होने वाले चैक को उसी दिवस अधिकतम अगले दिवस को बैंक में जमा करना अनिवार्य होगा तथा चैक की राशि मंडी के बैंक खाते में तीन दिवस में जमा होना चाहिये।

2. अपवाद स्वरूप, यदि आगामी तिथि को शासकीय अवकाश हो तो आगामी कार्यालयीन दिवस में अनिवार्य रूप से चैक को बैंक में जमा करना चाहिये ताकि चैक जमा करने के तीन दिवस में राशि मंडी खाते में जमा हो जाए।

3. बिन्दु क्रमांक 01 व 02 के अतिरिक्त, यदि राशि खाते में जमा होने में विलंब होता है तो इसके लिये संबंधित लेखापाल / कर्मचारी जिम्मेदार होगा तथा विलंब की राशि संबंधित से वसूली होगी।

4. अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्ररूप–10 में मंडी फीस जमा रसीद क्रमांक, दिनांक एवं चैक क्रमांक, दिनांक एवं बैंक का नाम अनिवार्य रूप से उल्लेखित होना चाहिये।

5. यदि जमाकर्ता द्वारा देय एकाउंटपेयी चैक अनादरित होता है तो संबंधित फर्म को तत्काल सूचित किया जावे तथा अनादरित चैक के संबंध में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अनुसार कार्यवाही की जाए एवं यदि सूचित करने पर प्रावधानुसार राशि जमा नही कराई जाती है तो इसके संबंध में भारतीय दंड विधान में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार भी कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(फैज़ अहमद किदवई)
सह–आयुक्त / प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक / बोर्ड / लेखा / 18–19 / 926 भोपाल,दिनांक 5 / 02 / 19

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सहअध्यक्ष म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .................... संभाग ....................(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सह–आयुक्त / प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल